शुगर एक्सपोर्ट की छूट पर केंद्र की लगी मुहर

[पीटीआई *नई दिल्ली*]

सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट की खुली छूट देने वाले फैसले को नोटिफाई कर दिया है। इससे इंडस्ट्री सरप्लस शुगर स्टॉक का एक्सपोर्ट कर सकेगी। किसानों का शुगर मिलों पर करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। एक्सपोर्ट से मिले पैसे से शुगर कंपनियां किसानों का बकाया चुकाएंगी। हालांकि, इस बारे में फैसला एक सप्ताह पहले ही ले लिया गया था।

फूड मिनिस्ट्री ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। शुगर एक्सपोर्ट पर पाबंदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई इंटर-मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हटाई गई थी। इसमें शुगर को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत लाने का फैसला किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 11 मई से शुगर एक्सपोर्ट पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा। निर्यातकों को 2011-12 मार्केटिंग ईयर (अक्टूबर-सितंबर) के लिए अगले आदेश तक फूड मिनिस्ट्री से ओजीएल के तहत एक्सपोर्ट की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

किसानों का मिलों पर करीब 10,000 करोड़ बकाया है। एक्सपोर्ट से मिले पैसे से शुगर कंपनियां किसानों का बकाया चुकाएंगी। यह फैसला एक सप्ताह पहले ले लिया गया था

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) के तहत जब रॉ शुगर का इंपोर्ट किया जाता है, तो तहत मिलों को प्रोसेसिंग के बाद उसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम सिर्फ 'ग्रेन-टू-ग्रेन बेसिस' वाले मामले पर लागू होता है। इस सिस्टम के तहत इंपोर्ट किए गए रॉ शुगर के बराबर रिफाइंड शुगर एक्सपोर्ट करना होता है। इस शुगर को डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचा जा सकता।

वहीं, अगर कोई 'टन-टू-टन बेसिस' के तहत रॉ शुगर इंपोर्ट करता है, तो उसे डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा सकता है। हालांकि, बाद में उतनी चीनी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है।

सरकार ने एएएस के जरिए 17 फरवरी 2009 से सितंबर 2009 तक जीरो ड्यूटी पर रॉ शुगर इंपोर्ट करने की इजाजत दी थी।

Economine Times
15/5/12